9-8-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने बहस करनी चाही। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादीगण के वाद पत्र में [illegible] तरमीम,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम बांयला पटवार हलका बांयला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर काशी, बलदेव S/O ओनाथ जाट काबिज देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व कामिलेशन जमाबंदी की नकल सम्वत 2032 से 2035 से होती है. काशी के ~~बुवा~~ बाद के गोद गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत वाद पत्र की मलक 2 में काबिज कब्जे से होती है। जिसमें वादी का 1/2 हक व हिस्सा हीव प्रतिवादी क्र०1 का भी 1/2 हक व हिस्सा है. काशी के नाम इन्द्रित आराजियात दर्ज रेकार्ड में काबिज इनके नाम कराना चाहते है क्योंकि वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे आराजी नं०1, 2 व 20 बलदेव S/O ओनाथ जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व कामिलेशन जमाबंदी की नकल सम्वत 2065 से 2068 से होती है. काबिज आराजी नं० 1 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा के ग्राम नम्बर 20 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, 1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व 2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि बलदेव S/O ओनाथ जाट काबिज देह के नाम दर्ज है जबकि इसके पूर्व उक्त आराजियात काशी, बलदेव S/O ओनाथ के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलान हेतु कम व जमाबंदी की नकल सम्वत 2065 से 2068 से होती है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में काबिज तथ्यों से स्पष्ट विवादित आराजियात काशी, बलदेव S/O ओनाथ जाट के नाम दर्ज रेकार्ड थी। सेटलमेन्ट के बाद विवादित आराजियात बटवारे की काशी जाट व बलदेव के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज की गयी। काशी के कोई औलाद नहीं होने के कारण को गोद ~~लिया~~ काशी के कोई औलाद नहीं होने से बलदेव को गोद लिया गया। किन्तु विवादित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया गया। किन्तु विवादित आराजियात में से प्रतिवादी क्र०1 के नाम इन्द्रित आराजी नं० 1, 2 व 20 कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि ~~दर्ज~~ दर्ज हो गयी। जबकि उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिये। जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादी प्रतिवादी क्र० 1 बलदेव द्वारा - प्रस्तुत जवाबदावे से होती है। किन्तु वहीम वादी के वाद के समर्थन व वादी के प्रस्तुत जवाबदावे के शपथ पत्रों से भी होती है जिसके मुताबिक विवादित आराजी नं० 1, 2 व 20 कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है बलदेव ने बजाय इस कारण भी वादी इस भूमि को अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ।

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण क्र० 1 व 2 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोचल पटवार हलका कोचल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं० 1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा तथा 20 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उसी अनुसार वादी के नाम 1/2 हिस्से उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य के द्वारा करवावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा